उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड

औद्योगिक आस्थान, पटेलनगर, देहरादून
पत्रांक:7893/उ.नि./(पांच)–उ.नि. स्टार्ट–अप–2018
दिनांक: 14 नवम्बर, 2018
टेली न0 0135–2728227, फैक्स न. 2728226
Web: www.startuputtarakhand.com, E-mail: mpr@doiuk.org

राज्य में स्टार्टअप इको सिस्टम को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल द्वारा इंक्यूबेटर की स्थापना अथवा पूर्व से स्थापित इंक्यूबेटर को क्षमता वृद्धि/विस्तार के लिए पूँजीगत सहायता (भूमि एवं भवन को छोड़कर) उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। पूँजीगत सहायता की अधिकतम सीमा कुल पूँजीगत निवेश (भूमि एवं भवन को छोड़कर) के 50% अथवा रू0 एक करोड़ जो भी कम हो, होगी। इसके अतिरिक्त काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत इंक्यूबेटर्स को आगामी तीन वर्ष तक रू0 2 लाख प्रतिवर्ष की दर से चालू खर्च (Running Expenses) भी प्रदान किया जायेगा।

सम्बंधित विस्तृत दिशा–निर्देश स्टार्टअप की website www.startuputtarakhand.com पर उपलब्ध है। इच्छुक सोसायटी/कम्पनी/लोक चैरिटेबल ट्रस्ट अथवा शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय जो उक्तानुसार सोसायटी/कम्पनी/लोक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हैं, अपना आवेदन उक्त वैबसाइट पर 12 दिसम्बर, 2018 तक निःशुल्क ऑनलाइन जमा करा सकते हैं।

14/11/18
उप निदेशक उद्योग
उद्योग निदेशालय
उत्तराखण्ड शासन

इन्क्यूबेटर स्थापित करने/विस्तारीकरण हेतु दिशानिर्देश

इनक्यूबेटर व्यावसायिक सहायता संसाधनों और सेवाओं जैसे भौतिक स्थान, पूंजी, प्रशिक्षण और सलाह, कॉर्पोरेट और कानूनी सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं और नेटवर्किंग अवसर प्रदान कर मापनीय व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता के लिए प्रारंभिक चरणों के दौरान स्टार्ट–अप कम्पनियों का सहयोग करने वाला एक संगठन है।

केन्द्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित या पंजीकृत इनक्यूबेशन को स्टार्ट–अप नीति–2018 के अंतर्गत इनक्यूबेटर माना जायेगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग के तहत अटल इंक्यूबेशन सेंटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.)।

1 इंक्यूबेटर को निम्न श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए:–
   (क) सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत)
   (ख) धारा–8 कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)
   (ग) कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)
   (घ) सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम–2008 के तहत)
   (ड.) लोक चैरिटेबल ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम–1882 के तहत)

2. इन्क्यूबेटर केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो।
3. इन्क्यूबेटर में कम से कम 5,000 वर्ग फीट इन्क्यूबेशन स्पेस उपलब्ध हो।
4. इन्क्यूबेटर को मान्यता/पंजीकरण के लिये आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा।
5. पूंजीगत सहायता तथा चालू खर्चो हेतु इन्क्यूबेटर को पृथक से ऑनलाईन आवेदन करना होगा। पूंजीगत सहायता तथा चालू खर्चों हेतु अनुदान इन्क्यूबेटर स्थापित होने के पश्चात् देय होगा।
6. इन्क्यूबेटर्स को पूँजीगत लागत का पचास प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 करोड़ तक पूँजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता एक बार देय होगी तथा पूँजीगत लागत में भूमि तथा भवन की लागत की गणना नहीं की जाएगी। यह सहायता नए इन्क्यूबेटर स्थापित करने पर अथवा स्थापित इन्क्यूबेटर को क्षमता बढ़ाने के लिए देय होगी।
7. स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों को 3 साल की अवधि के लिए संचालन और प्रबंधन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष रू0 2.0 लाख की सहायता देय होगी। यह सहायता इन्क्यूबेटर को विद्युत बिल, जलकर, आदि चालू खर्चो हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। इस सहायता हेतु इन्क्यूबेटर वर्ष में एक से अधिक बार भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु धनराशि की कुल सीमा रू0 2.00 लाख ही रहेगी।
8. इन्क्यूबेटर को इंक्यूबेटीस के साथ क्रियाशील स्थिति में कम से कम 3 माह तक प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअल रूप से सहायता करनी चाहिए।

9. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर को नीति के अनुसार स्टार्ट–अप को इन्क्यूबेशन स्पेस में इन्क्यूबेटर की अधिसूचित दरों से 25 प्रतिशत कम पर स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. पूँजीगत सहायता किसी भी इन्क्यूबेटर को नीति के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार मात्र एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।
11. विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता/अनुदान का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र सहायता/अनुदान मिलने के तीन माह के अंतर्गत विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
12. नीति के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी प्रकार के अनुदान/सहायता का दुरूपयोग अथवा स्वप्रमाणन में किसी प्रकार की मिथ्या जानकारी/सूचना पाये जाने पर अनुदान/सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सादृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।

Application Form (To be submitted online)

Sr. No.	Fields
1	Name of Institute/Organization
2	Website URL
3	Sector
4	Incorporation Structure a) Society (under The Societies Registration Act, 1860) b) Section 8 Company (under The Companies Act, 2013) c) A Company (under The Companies Act, 2013) d) Limited Liability Partnership (under The Limited Liability Partnership Act, 2008) e) Public Charitable Trust (under The Indian Trusts Act, 1882)
5	Entity Address
6	Email ID
7	Phone Number
7	Contact Person Name
8	Designation
9	Mobile
10	Email Id
11	Incorporation Number
12	Incorporation Date
13	Floor Area
14	Total Manpower for O&M
15	Incubates Graduated
16	Bank Name and Branch details such as IFSC code
17	Account Holder Name (Should be the current account of the entity)
18	Account Number

* As per policy, the incubators registered with the Startup-Uttarkhand will provide space to recongised startups at 25 % discount on scheduled rate.

Document for Due Diligence– Incubator

Sr. No.	Fields
1	Proposed Budget Plan
2	Detailed Business Plan
3	Registration Certificate of the applicant
4	Memorandum of Association of the applicant
5	Audited Statement of Accounts for the last three years
6	Audited Statement of Accounts for the last three years
7	Annual Reports for the last three years
8	Names of the Industries or Individuals that would be associated with the incubator along with their letter of intent.
9	CV/ Resume of Full-time Managing Team (Board, CEO and other officials)
10	Registration Certificate of the incubator
11	Proof of availability of 5,000 sq. feet built up space along with lease deed in favor of the incubator
12	List of key mentors providing the designation, qualification etc